


उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

निविदा सूचना

समस्त अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये आवश्यकतानुसार मैप्लीथो पेपर मेप्लीथो पेपर (Size 51 x 75 cm = 80 GSM) एवं आर्ट पेपर साईज (Size 58.5 x 91 cm of 130 GSM) क्रय किया जाना है, जिसके लिये निर्धारित शर्तों के अधीन मोहरबंद निविदायें दिनांक 02-12-2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्त एवं वाछिंत सामग्री की विस्तृत जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर भी उपलब्ध है।



रजिस्ट्रार जनरल



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

कं. रजि.(प्रशा.) / ~~Q-771~~ / R(A)

दिनांक 11 नवम्बर अक्टूबर, 2020.

निविदा फार्म

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर हेतु
मेप्लीथो पेपर एवं आर्ट पेपर की आपूर्ति

निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि 02/12/2020 अपराह 3:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि 02/12/2020 अपराह 4:00 बजे तक

डिमाण्ड ड्राफ्ट कं. दिनांक..... राशि रूपये 500 / -
(निविदा दस्तावेज की लागत)

निविदा-कर्ता की सील एवं हस्ताक्षर

h

डिमाण्ड ड्राफ्ट

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

नियम एवं शर्तें

वर्ष 2020-21 हेतु मेप्लीथो पेपर (Size 51 x 75 cm = 80 GSM) एवं आर्ट पेपर साईज (Size 58.5 x 91 cm of 130 GSM) क्रय किये जाने हेतु सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो इस कार्यालय में दिनांक 02/12/2020 को सांय 3.00 बजे तक पहुँच जावे।

1. निविदा की अनुमानित लागत लगभग रूपये 25,00,000/- होगी।
2. निविदा हेतु निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाईट www.mphc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. निविदाकर्ता को अपनी निविदा के साथ रूपये 500/- का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पक्ष में देय होगा, निविदा दस्तावेज की लागत के रूप में संलग्न करना होगा। यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी।
4. सील बंद निविदाये रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से दिनांक 02/12/20 को अपराह 3.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं की जावेगी। एवं निविदायें उसी दिन शाम 4.00 बजे खोली जावेगी।
5. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मेप्लीथो पेपर एवं आर्ट पेपर प्रदाय हेतु निविदा लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार द्वारा जो भी दस्तावेज

प्रस्तुत किये जा रहे हैं उसे निविदा के साथ सूची बनाकर क्रमानुसार स्पष्ट करते हुये संलग्न करें।

6. यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि अथवा निविदा खुलने की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो यह निविदा अगले कार्यदिवस पर खोली जावेगी।
7. आदेशानुसार मेप्लीथो पेपर उच्च न्यायालय कक्ष तक पहुँचाने का समस्त उत्तर दायित्व निविदाकार का होगा।
8. निविदा में मेप्लीथो पेपर, आर्ट पेपर किस कम्पनी द्वारा निर्मित है सामग्री का साईज नाप, तौल आदि जो निविदा में दिया गया है, अंकित करना अनिवार्य है, एवं नमूना संलग्न कर नमूना सामग्री पर निविदाकर्ता की/फर्म की सील होना अनिवार्य है।
9. निविदाकार उनके द्वारा दी गई मेप्लीथो पेपर आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।
10. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला मेप्लीथो पेपर, आर्ट पेपर अनुमोदित अनुसार ना होने की दशा में उक्त पेपर को निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा अनुमोदन अनुसार उक्त पेपर निर्धारित अवधि में प्रदाय करना होगा।
11. मेप्लीथो पेपर को प्रदाय करने का आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अन्दर उक्त पेपर प्रदाय करना होगा।
12. निविदा की दरों की वैधता अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2020-21 अथवा अनुमोदित दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी।
13. निविदाकार, वाणिज्यकर विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने

आयकर अदा किया है, उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।

14. निविदाकारों को अग्रिम सुरक्षा निधि के रूप में 50,000/- की ई0एम0डी0 जो कि 06 माह के लिये वैध होगी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावे।
15. निविदा प्रक्रिया के बाद असफल बोलीदारों की ई0एम0डी0 बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
16. सफल निविदाकर्ता द्वारा परफार्मेंस बैंक गारंटी 10 प्रतिशत निविदा मूल्य का जो कि 01 वर्ष अवधि के लिये देय रहेगी जमा करनी होगी। सुरक्षा निधि (ई0एम0डी0) बैंक गारंटी अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार होगी।
17. किसी भी शर्त के भंग होने पर रजिस्ट्रार जनरल को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी। तथा नियम एवं शर्तों पर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
18. मेप्लीथो पेपर की दरें समस्त करें, शुल्क, भाडा व आकस्मिक प्रभार सहित दी जावे।
19. शासन द्वारा जी0एस0टी0 अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।
20. शर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
21. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित होना चाहिये।
22. निविदाकर्ता द्वारा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वह या तो अधिकृत विक्रेता है या निर्माता है।
23. सभी निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के साथ प्रदाय की जाने वाली सामग्री का नमूना संलग्न कर निविदा प्रेषित करना होगा।

- निविदा के साथ नमूना संलग्न न होने की दशा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
24. यदि सफल निविदाकर्ता निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहता है ऐसी अवस्था में निविदाकर्ता की जमा राशि जप्त कर निविदा की मंजूरी रद्द की जावेगी तत्पश्चात् अगले सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा।
25. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की क्रमानुसार सूची निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
26. रजिस्ट्रार जनरल को यह अधिकार होगा कि, वे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिये सशक्त होंगे।
27. माध्यस्थम :- इस संविदा के किसी भी नियमों या शर्तों और/या उनके कार्यान्वयन अथवा निर्वचन के संबंध में किसी विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दशा में, उसे आरंभतः आपसी चर्चा एवं सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा किन्तु उसमें असफल होने की स्थिति में, इसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ म0 प्र0 उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। माध्यस्थम जबलपुर में होगा तथा मध्यस्थ अपना अधिनिर्णय "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996" के अनुसार होगा।

28. अप्रत्याशित घटना – (1) कोई भी पक्षकार दूसरे पक्ष के प्रति किसी ऐसी घटना के कारण उसके दायित्व के निर्वहन में किसी देरी या चूक के लिये जिम्मेदार नहीं होगा जिसे सामान्यतः अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के रूप में जाना जाता है जो कि किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे है तथा उसमें आग, बाढ़, विस्फोट, दैविय या किसी सरकारी निकाय के कृत्य, लोक अव्यवस्था, दंगे व्यापार-प्रतिरोध, हड़ताल, सैन्य प्राधिकरण के कृत्य, महामारी, हड़ताल, तालाबंदी, या अन्य श्रमिक विवाद, विद्रोह नागरिक उपद्रव, युद्ध, दुश्मन की कार्यवाही सम्मिलित है किंतु यह उन तक सीमित नहीं है।

(2) यदि कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो बोली लगाने वाला, रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को लिखित में उसकी स्थिति व कारण सूचित करेगा। जब तक अन्यथा रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित ना किया जाये बोलीदाता, जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों का पालन जारी रखेगा, एवं निर्वहन के लिये उन सभी वैकल्पिक साधनों की तलश करेगा जो कि अप्रत्याशित घटना द्वारा रोके गए हों। बोलीदाता को उसके दायित्वों के निर्वहन से तब तक आंशिक अथवा पूर्ण छूट दी जाएगी जब तक कि ऐसे कारण, परिस्थितियों अथवा घटनाएं ऐसे निर्वहन को रोकना अथवा उसमें विलंब करना जारी रखती है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

PRICE DETAILS

S.No.	NAME OF THE ARTICLES	BRAND NAME	BASIC VALUE	TAXES/GST	TOTAL	REMARKS (If any)
1.	2.	3.	4.	5.	6. (4+5)	7.
1.	Maplitho Paper (Size 51 x 75 cm = 80 GSM)					
2.	Art Paper (Size 58.5 x 91 cm = 130 GSM)					
				Total Price Rs.		

Signature & Seal of the Bidder